



भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण  
(सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय, भारत सरकार)  
**National Highways Authority of India**  
(Ministry of Road Transport & Highways, Government of India)  
परियोजना क्रियान्वयन इकाई - मेरठ  
Project Implementation Unit, Meerut



ए-1, वैष्णो धाम, निकट गायत्री हाईट्स, कंकरखेड़ा, एन.एच.-58, मेरठ-250001  
A-1, Vaishno Dham, Near Gayatri Heights, Kankerkheda, NH-58, Meerut-250001  
टेलीफोन/Telephone: 0121-2631228 ई-मेल/e-mail: meerut@nhai.org

NHAI/PIU-MRT/2022/66012/D- 25706

Date: 13.10.2022

To  
The Divisional Forest Officer  
Social Forest Division  
Bijnor (UP).

**Subject:** विषय: भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण परियोजना क्रियान्वयन इकाई, मेरठ द्वारा मेरठ नजीबाबाद मार्ग खण्ड एन0एच0-119 के जनपद मुजफ्फरनगर के अन्तर्गत किमी0 चैनेज 48.400 से किमी0 67.180 तक 27.7437 हे० संरक्षित वनभूमि एवं जनपद बिजनौर के अन्तर्गत किमी0 चैनेज 67 180 से 79.330 तक 11.1077 हे० संरक्षित वनभूमि अर्थात् कुल 38.8514 हे० संरक्षित वनभूमि के गैरवानिकी प्रयोग तथा विभिन्न प्रजातियों के बाधक वृक्ष जनपद मुजफ्फरनगर में 7846 वृक्ष व जनपद बिजनौर में 4316 वृक्ष अर्थात् कुल 12162 वृक्षों के पातन / ट्रान्सप्लान्ट की अनुमति के सम्बंध में।  
(Online Proposal no.- FP/UP / ROAD / 43253/ 2019).

**Reference: -**

- EDS issued from office of Divisional Forest office- Muzaffarnagar, vide letter no: - 4406/14-1 (PIU/UP/Road/43253/2019-FC) Dated- 19/05/2022.
- EDS issued from RO office, Lucknow of MoEFCC vide letter no.- 8B/UP/06/265/2021/FC/17 dated 11/04/2022.

Sir

Please refer to the above captioned subject and aforementioned references.

The compliance of your EDS issued vide above referred letter is detailed in **annexure -I** and the revised proposal as per the recommendation of WII Study Report is submitted to your office for necessary action.

This is for your kind information and onward necessary action please.

Thanking you.

**DA/ Annexure-I and 07 Copies of Forest Proposal in original.**

(Santosh Kumar Bajpai)  
Project Director

प्रस्ताव संख्या - FP/UP / ROAD / 43253/2019

Letter no of EDS: 4406/14-1 (PIU/UP/Road/43253/2019-FC) Dated- 19/05/2022

| S.No | EDS raised by DFO/Ro-MoEFCC                                                                                                    | Compliance by User Agency                                                                                                                                                                                                      |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1    | The Net suitable area for plantation as per GIS-DSS analysis is 60.84 ha. Which is less than the actual required CA land area. | The compliance of EDS Raised by office of RO, MoEF&CC will need to be submit by your office as it is part of part-II. Kindly provide the GPS Coordinate of required CA so that we can prepare all the documents related to CA. |

  
(Santosh Kumar Bajpai)  
Project Director



भारत सरकार  
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय  
एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, लखनऊ  
Ministry of Environment, Forest & Climate Change  
Integrated Regional Office, Lucknow



केन्द्रीय भवन, पंचम तल, राबर्ट एन. अलीगंज, लखनऊ-226024. Telefax-2326696  
Email: roezalko-mefz nic.in

पत्र सं० 8बी/यू0पी0/06/265/2021/एफ0सी0 117

दिनांक : 11.04.2022

सेवा में,

अति० मुख्य सचिव,  
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग,  
उत्तर प्रदेश शासन, बापू भवन, लखनऊ।

Online Proposal No. FP/UP/Road/43253/2019

विषय: भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण परियोजना कियान्वयन इकाई, मेरठ द्वारा मेरठ नजीबाबाद मार्ग खण्ड एन0एच0-119 के जनपद मुजफ्फरनगर के अन्तर्गत किमी० चैनेज 48.400 से किमी० 67.180 तक 27.7437 हे० संरक्षित वनभूमि एवं जनपद बिजनौर के अन्तर्गत किमी० चैनेज 67.180 से 79.330 तक 11.1077 हे० संरक्षित वनभूमि अर्थात् कुल 38.8514 हे० संरक्षित वनभूमि के गैरवानिकी प्रयोग तथा विभिन्न प्रजातियों के बाधक वृक्ष जनपद मुजफ्फरनगर में 7846 वृक्ष व जनपद बिजनौर में 4316 वृक्ष अर्थात् कुल 12162 वृक्षों के पातन/ट्रान्सप्लान्ट की अनुमति के सम्बंध में।

सन्दर्भ: सचिव(वन), उत्तर प्रदेश का पत्रांक-496/81-2-2021-800(230)/2021, लखनऊ, दिनांक-23.03.2022.

महोदय,

उपरोक्त विषय का आशय ग्रहण करने का कष्ट करें। विषयांकित प्रकरण में राज्य सरकार द्वारा वन(संरक्षण) अधिनियम, 1980 की धारा (2) के अन्तर्गत भारत सरकार की स्वीकृति मांगी है।

प्रश्नगत प्रकरण में इस कार्यालय के समसंख्यक पत्र दिनांक 27.12.2021 द्वारा प्रकरण में आवश्यक सूचनाएँ मांगी गई थीं, जिसकी अनुपालना उपरोक्त संदर्भित पत्र द्वारा प्रस्तुत की गयी है। प्रस्तुत अनुपालन आख्या पर विचारोपरान्त गुझे आपको यह सूचित करने का निर्देश हुआ है कि निम्न बिन्दु पर आवश्यक सूचना इस कार्यालय को उपलब्ध कराएँ ताकि आगे की कार्रवाई सुनिश्चित की जा सके-

- 1- The NET suitable area for plantation as per GIS-DSS analysis is 60.84 ha.. which is less than the actual required CA land area.

भवदीया,

(डॉ० प्राची गंगवार)  
उप वन महानिरीक्षक (केन्द्रीय)

प्रतिलिपि (ईमेल द्वारा):

1. प्रधान मुख्य वन संरक्षक(हॉफ), वन विभाग, 17, राणा प्रताप मार्ग, लखनऊ, उ०प्र०।
2. मुख्य वन संरक्षक(वन संरक्षण) एवं नोडल अधिकारी, वन विभाग, 17, राणा प्रताप मार्ग, लखनऊ, उ०प्र०।
3. प्रभागीय निदेशक, मुजफ्फरनगर एवं बिजनौर।
4. परियोजना निदेशक भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, पी०आई०यू०, मेरठ।
5. पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, लखनऊ को वेबसाइट पर अपलोडिंग हेतु/आदेश पत्रावली।

(डॉ० प्राची गंगवार)  
उप वन महानिरीक्षक (केन्द्रीय)

कार्यालय प्रभागीय निदेशक, सामाजिक वानिकी प्रभाग मुजफ्फरनगर ।  
पत्रांक-4406/14-1(FP/UP/Road/43253/2019-FC) दिनांक, मुजफ्फरनगर, 13.05.2022 ।  
सेवा में,

परियोजना निदेशक,  
भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण  
पीओआई0यू0 मेरठ ।

विषय:-

जनपद मुजफ्फरनगर में भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण परियोजना क्रियान्वयन इकाई, मेरठ द्वारा नजीबाबाद मार्ग खण्ड एन0एच0-119 के जनपद मुजफ्फरनगर के अन्तर्गत कि0मी0 चैनैज 48.400 से कि0मी0 67.180 तक 27.7437 हे0 संरक्षित वन भूमि एवं जनपद विजनौर के अन्तर्गत कि0मी0 चैनैज 67.180 से 79.330 तक 11.1077 हे0 संरक्षित वन भूमि अर्थात् कुल-38.8514 हे0 संरक्षित वन भूमि के गैर वानिकी प्रयोग तथा विभिन्न प्रजातियों के बाधक वृक्ष जनपद मुजफ्फरनगर में 7846 वृक्ष व जनपद विजनौर में 4316 वृक्ष अर्थात् कुल-12162 वृक्षों के पातन/ट्रान्स प्लाट की अनुमति के संबंध में।

संदर्भ:-

भारत सरकार पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय उत्तर प्रदेश लखनऊ का पत्रांक-FP/UP/06/265/2021/FC/17 दिनांक-11.04.2022 ।

महोदय,

जनपद मुजफ्फरनगर में भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण परियोजना क्रियान्वयन इकाई, मेरठ द्वारा नजीबाबाद मार्ग खण्ड एन0एच0-119 के जनपद मुजफ्फरनगर के अन्तर्गत कि0मी0 चैनैज 48.400 से कि0मी0 67.180 तक 27.7437 हे0 संरक्षित वन भूमि एवं जनपद विजनौर के अन्तर्गत कि0मी0 चैनैज 67.180 से 79.330 तक 11.1077 हे0 संरक्षित वन भूमि अर्थात् कुल-38.8514 हे0 संरक्षित वन भूमि के गैर वानिकी प्रयोग तथा विभिन्न प्रजातियों के बाधक वृक्ष जनपद मुजफ्फरनगर में 7846 वृक्ष व जनपद विजनौर में 4316 वृक्ष अर्थात् कुल-12162 वृक्षों के पातन/ट्रान्स प्लाट की अनुमति के संबंध में भारत सरकार पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय उत्तर प्रदेश लखनऊ के संदर्भित पत्र दिनांक-11.04.2022, द्वारा निम्नानुसार अभिलेख / सूचना की वांछना की गयी है-

1- The NET suitable area for plantation as per GIS-DSS analysis is 60.84 ha. which is less than the actual required CA land area.

अतः विषयक प्रस्ताव में भारत सरकार पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय उत्तर प्रदेश लखनऊ के संदर्भित पत्र दिनांक-11.04.2022 के क्रम में आवश्यक अभिलेख 05 प्रतियों में इस कार्यालय को उपलब्ध कराने का कष्ट करें ताकि विषयक प्रस्ताव में नियमानुसार अग्रेत्तर कार्यवाही की जा सकें ।

(कन्हैया पटेल)

प्रभागीय निदेशक,  
सामाजिक वानिकी प्रभाग  
मुजफ्फरनगर

संख्या

/ दिनांकित ।

प्रतिलिपि मुख्य वन संरक्षक / नोडल अधिकारी (वन संरक्षण अधिनियम 1980) उत्तर प्रदेश लखनऊ की सेवा में सादर सूचनाय प्रेषित।

प्रतिलिपि प्रभागीय निदेशक, सामाजिक वानिकी प्रभाग, गिर्जापुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।  
प्रतिलिपि प्रभागीय वनाधिकारी, शिवालिक वन प्रभाग, सहारनपुर, को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

(कन्हैया पटेल)

प्रभागीय निदेशक,  
सामाजिक वानिकी प्रभाग  
मुजफ्फरनगर





# भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण

(सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय, भारत सरकार)

## National Highways Authority of India

(Ministry of Road Transport & Highways, Government of India)

परियोजना क्रियान्वयन इकाई - मेरठ  
Project Implementation Unit, Meerut

ए-1, वैष्णो धाम, निकट गायत्री हाईट्स, कंकरखेड़ा, एन.एच.-58, मेरठ-250001  
A-1, Vaishno Dham, Near Gayatri Heights, Kankerkheda, NH-58, Meerut-250001  
टेलीफोन/Telephone: 0121-2631228 ई-मेल/e-mail: meerut@nhai.org



NHAI/PIU-MRT/2022/66012/D- 25705

Date: 13.10.2022

To  
The Divisional Forest Officer  
Social Forest Division  
Meerut Road, Muzaffarnagar  
Uttar Pradesh

**Subject:** विषय: भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण परियोजना क्रियान्वयन इकाई, मेरठ द्वारा मेरठ नजीबाबाद मार्ग खण्ड एन0एच0-119 के जनपद मुजफ्फरनगर के अन्तर्गत किमी0 चैनेज 48.400 से किमी0 67.180 तक 27.7437 हे० संरक्षित वनभूमि एवं जनपद बिजनौर के अन्तर्गत किमी0 चैनेज 67 180 से 79.330 तक 11.1077 हे० संरक्षित वनभूमि अर्थात् कुल 38.8514 हे० संरक्षित वनभूमि के गैरवानिकी प्रयोग तथा विभिन्न प्रजातियों के बाधक वृक्ष जनपद मुजफ्फरनगर में 7846 वृक्ष व जनपद बिजनौर में 4316 वृक्ष अर्थात् कुल 12162 वृक्षों के पातन / ट्रान्सप्लान्ट की अनुमति के सम्बंध में।  
(Online Proposal no.- FP/UP / ROAD / 43253/ 2019).

**Reference: -**

- (i) EDS issued from office of Divisional Forest office- Muzaffarnagar, vide letter no: - 4406/14-1 (PIU/UP/Road/43253/2019-FC) Dated- 19/05/2022.
- (ii) EDS issued from RO office, Lucknow of MoEFCC vide letter no.- 8B/UP/06/265/2021/FC/17 dated 11/04/2022.

Sir

Please refer to the above captioned subject and aforementioned references.

The compliance of your EDS issued vide above referred letter is detailed in **annexure -I** and the revised proposal as per the recommendation of WII Study Report is submitted to your office for necessary action.

This is for your kind information and onward necessary action please.

Thanking you.

**DA/ Annexure-I and 05 Copies of Forest Proposal in original.**

(Santosh Kumar Bajpai)  
Project Director

14/10